उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-43/2016/1223/92-2-16-41जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 08 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के निर्माण कार्यो की अनियमितता की जॉच में यह पाया गया कि निविदा डालते समय एक रजिस्टर पर निविदा डालने वाले ठेकेदार का नाम और कार्य का नाम अंकित किये जाने के निर्देश संबंधित सहायक अभियंतागण को अपचारी अधिशासी अभियंता द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार का रजिस्टर बनाने हेतु कोई निर्देश शासन/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी नही किये गये है। इस प्रकार की कार्यवाही से निविदा की गोपनीयता भंग् होने की संभावना रहती है। अत: शासन के पत्र संख्या-30/92-2-16-41जांच/2015 दिनांक 04-03-2016 द्वारा उक्त के संबंध में श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो श्री अग्रवाल के पत्र संख्या-131/ग्रा0अ0 वि0/एस0 टी0/जांच/2015-16 दिनांक 26-04-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया गया है कि उक्त रजिस्टर पर अंकन किये जाने हेतु उनके द्वारा कोई निर्देश नही दिये गये। अपचारी अधिशासी अभियंता का यह कथन सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार योग्य नही पाया गया। अत: श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिये उन्हें निम्नवत **"परिनिन्दित"** करते हुए कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के निर्माण कार्यो की निविदा डालते समय रजिस्टर पर निविदा डालने वाले ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम अंकित कराके निविदा की गोपनीयता भंग किये जाने का प्रयास करने की अनियमितता हेतु श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा को वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-43/2016/1223(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।